

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-2007/2021-228392
SG-DL-E-2007/2021-228392

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 197]	दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 20, 2021/आषाढ़ 29, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 91
No. 197]	DELHI, TUESDAY, JULY 20, 2021/ASHADHA 29, 1943	[N. C. T. D. No. 91

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 19 जुलाई, 2021

सं. फा. 161(5)/एसीएडी/एडीएम./2021/769-75.— दिल्ली डिप्लोमा स्तर के तकनीकी शिक्षा संस्थान (समानता एवं उत्कृष्टता सुनिश्चित करने हेतु कपिटेशन शुल्क प्रतिबंध, प्रवेश के विनियमन, शोषण रहित शुल्क का निर्धारण तथा अन्य उपाय) अधिनियम 2007' (2007 का दिल्ली अधिनियम 7) की धारा 11 और सहपठित धारा 13 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की दिल्ली सरकार एतद्वारा दिल्ली कौशल और उद्यमिता विश्वविद्यालय (डीएसईयू) को तकनीकी शिक्षा बोर्ड (बीटीई), दिल्ली से संबद्ध निजी / सरकारी सहायता प्राप्त डिप्लोमा स्तर के संस्थानों में प्रवेश के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए अधिनियम की धारा (3) के खंड (एच) के अनुसार नामित एजेंसी के रूप में नियुक्त करती है।

अज़ीमुल हक, निदेशक (टीटीई)

DEPARTMENT OF TRAINING AND TECHNICAL EDUCATION**NOTIFICATION**

Delhi, the 19th July, 2021

No. F. 161(5)/ACAD./ADM./2021/769-75.—In exercise of powers conferred under Section 11, read with Section 13 of ‘The Delhi Diploma Level Technical Education Institutions (Prohibition of Capitation Fee, Regulation of admission, Fixation of Non-Exploitative Fee and Other Measures to Ensure Equity and Excellence) Act, 2007’ (Delhi Act 7 of 2007), the Government of N.C.T. of Delhi hereby appoints Delhi Skill and Entrepreneurship University (DSEU) as the ‘designated agency’ in term of clause (h) of Section 3 of the Act, for conducting Common Entrance Test for admissions in Private/Govt. Aided Diploma level institutes affiliated to Board of Technical Education (BTE), Delhi.

AZIMUL HAQUE, Director (TTE)